पारिभाषिक शब्दावली

पारिभाषिक शब्दावली

1. **एक वर्ष का 'लेखा' अथवा 'वास्तविक आंकड़े'** - 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की राशि होती है, जैसा कि लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में अंतिम रूप से दर्ज किया गया है (जैसा कि नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित है)। अनंतिम लेखा का तात्पर्य अनअंकेक्षित लेखा से है।

2. **किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य का 'प्रशासनिक अनुमोदन'** - व्यय करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी औपचारिक स्वीकृति है। बजट में निधियों के प्रावधान के अंतर्गत यह उस विशेष वर्ष के दौरान, जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जाता है, प्रचालन हेतु वित्तीय मंजूरी के रूप में कार्य करता है।

3. **'वार्षिक वित्तीय विवरण'** - इसे बजट के रूप में भी देखा जाता है जिसका मतलब है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला केंद्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ एवं व्यय का विवरण।

4. **'विनियोजन'** - इसका तात्पर्य विनियोजन के विविध मूल इकाई अथवा उसके किसी भाग के अंतर्गत व्यय के लिए संसद/राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत राशि को किसी संवितरण अधिकारी के समक्ष निपटान हेतु रखी गई राशि से है।

5. **'प्रभारित व्यय'** - इसका तात्पर्य ऐसे व्यय से है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमण्डल के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

6. **भारत/राज्य की समेकित निधि** - संघ/राज्य सरकार के समस्त राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण तथा भारत/राज्य की समेकित निधि से ऋणों के पुनः भुगतान से प्राप्त समस्त राशि से है। इस निधि में से कोई भी धनराशि कानून के अनुसार और संविधान में निहित तरीकों और किसी उद्देश्य के अलावा विनियोजित नहीं की जा सकती है।

7. **'आकस्मिक निधि'** अग्रदाय प्रकृति की होती है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य कार्यपालिका/सरकार को किसी वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद/राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक अग्रिम राशि प्रदान करना है। आकस्मिकता निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के जरिए अनुमोदित करने के बाद की जाती है।

8. **'नियंत्रक अधिकारी (बजट)'** - इसका तात्पर्य एक ऐसे अधिकारी से है जिसे विभाग द्वारा किए गए व्यय और/अथवा राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे पद में विभाग के प्रमुख और प्रशासक भी शामिल है।

9. **'आहरण और संवितरण अधिकारी' (डीडीओ)** - इसका तात्पर्य कार्यालय के प्रमुख और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित किसी ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार की ओर से बिल का आहरण और भुगतान करता हो। इस पद में विभाग के प्रमुख भी शामिल होंगे जहां वे स्वयं ऐसे कार्य का निवर्हन करते हैं।

10. **'अतिरिक्त अनुदान'** - अतिरिक्त अनुदान का मतलब है मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत प्रावधान से अधिक व्यय की राशि, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अंतर्गत संसद/राज्य विधानमण्डल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण करने की आवश्यकता है।

11. **'नई सेवा'** - जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115/1(क)/205/(1)(क) में उल्लेख किया गया है, नई सेवा का अर्थ है एक नई नीति निर्णय के अंतर्गत होने वाला व्यय जिसे पहले संसद/राज्य विधानमण्डल के ध्यान में नहीं लाया गया जिसमें एक नई गतिविधि या निवेश का एक नया रूप शामिल है।

12. **'सेवा का नया साधन'** - का अर्थ है किसी मौजूदा गतिविधि के महत्त्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत अधिक व्यय।

13. **'लोक लेखा'** - का अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 266/(2) में संदर्भित लोक लेखा से है। जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण इत्यादि जैसे प्राप्तियाँ और संवितरण जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं है, को लोक लेखा में शामिल किया जाता है। लोक लेखा से संवितरण संसद/राज्य विधानमण्डल के मत के अधीन नहीं होता है क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किया गया धन नहीं है।

14. **'पुनर्विनियोजन'** - का अर्थ है किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के अंतर्गत किसी अन्य इकाई से अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोजन के एक इकाई में बचत का स्थानांतरण करना।

15. **'संशोधित मूल्य का अनुमान'** - वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान है जिसे पहले से ही जारी आदेशों के अंतर्गत वर्ष

में पहले से ही दर्ज किए गए लेन-देन और शेष के लिए अनुमान के संदर्भ में उस वर्ष तैयार किया गया है।

16. **'अनुदान की अनुपूरक मांगों'** - का अर्थ है उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय के अतिरिक्त किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में और आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि का उल्लेख करना जिसे विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अनुपूरक की मांग सांकेतिक, तकनीकी या वास्तविक/नकद हो सकती है।

(क) **पूरक नगद** मूल बजट प्रावधानों से अधिक होता है तथा इसके परिणामस्वरूप मांग/अनुदान के लिए आवंटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में और उचित परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस पद्धति का पालन राज्य द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रत्येक मांग में चार खण्ड होते है, अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत, पूंजीगत प्रभारित। **तकनीकी पूरक,** राज्य विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, किसी एक अनुभाग की बचत को किसी अन्य अनुभाग के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

(ग) **टोकन पूरक** अनुदान के एक ही अनुमान के भीतर बचत का उपयोग करने की अनुमति देता है।

17. **'मुख्य शीर्ष'** - का अर्थ राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को रिकॉर्ड करने तथा वर्गीकृत करने के उद्देश्य से एक मुख्य लेखा शीर्ष है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के 'कार्य' के अनुरूप होता है।

18. **'उप-मुख्य शीर्ष'** - का अर्थ है एक मुख्य शीर्ष तथा इसके तहत लघु शीर्षों के बीच प्रस्तुत किए गए मध्यवर्ती लेखा शीर्ष, जब लघु शीर्ष असंख्य होते हैं तो ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के अंतर्गत आसानी से एक साथ समूहीकृत किए जा सकते है।

19. **'लघु शीर्ष'** - का अर्थ है मुख्य शीर्ष या उप-मुख्य शीर्ष का अधीनस्थ शीर्ष। मुख्य शीर्ष का एक लघु अधीनस्थ मुख्य शीर्ष द्वारा प्रतिनिधित्व कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए 'कार्यक्रम' को चिह्नित करता है।

20. **'उप-शीर्ष'** - का अर्थ है एक लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई जो समान्यतः लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अंतर्गत योजना या संगठन को दर्शाती है।

21. **'प्रमुख कार्य'** - का अर्थ है एक मूल कार्य, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक हो।

22. **'लघु कार्य'** - का अर्थ है एक मूल कार्य, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होता है।

23. **'संशोधित अनुदान या विनियोजन'** - का अर्थ है विनियोजन के किसी उप-शीर्ष को आवंटित राशि, जैसा कि यह पुनर्विनियोजन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद हो।

24. **'पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन'** - का अर्थ एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोजन अधिनियम में शामिल प्रावधान है, जो उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए अभिप्रेत हो।

25. **'नए व्यय की अनुसूची'** - का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल करने हेतु प्रस्तावित नए व्यय की मदों का विवरण।

26. **'टोकन मांग'** - का अर्थ है एक मामूली या सांकेतिक राशि के लिए विधानमंडल में की गई मांग। उदाहरण के लिए, नई सेवा पर संपूर्ण व्यय स्वीकृत बजट अनुदान की बचत से पूरा करने का प्रस्ताव।